क्रम संख्या–87

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0–30/2012–14

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 01 अप्रैल, 2013 ई0

चैत्र 11, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 147/XXXVI(3)/2013/17(1)/2013

देहरादून, 01 अप्रैल, 2013

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के क्षति का निवारण) विधेयक, 2013"** पर दिनांक 28 मार्च, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 21, वर्ष 2013 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के क्षति का निवारण) अधिनियम, 2013

{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 21 वर्ष 2013}

चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और सेवा संस्थाओं में हिंसा और सम्पत्ति के क्षति के निवारण हेतु उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो –

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के क्षति का निवारण) अधिनियम, 2013 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) **"चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था"** से लोगों को चिकित्सा परिचर्या उपलब्ध कराने वाली वे समस्त संस्थाएं या सचल चिकित्सा, उपचार इकाई एवं चिकित्सा उपचार कैम्पस अभिप्रेत है, जो राज्य या केन्द्रीय सरकार या स्थानीय निकायों आदि के नियंत्रणाधीन है और उसमें रूग्ण व्यक्तियों के उपचार के लिये सुविधायें रखने वाला और उन्हें प्रवेश देने वाला या ठहराने के लिये प्रयुक्त कोई निजी अस्पताल, निजी प्रसूति गृह, जिसमें सामान्यतया महिलाओं को शिशु जन्म या उससे सशक्त किसी बात के संबंध में परिरोध एवं प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात् की परिचर्या के प्रयोजन के लिये प्रवेश दिया और ठहराया जाता है और किसी भी रूग्णता, क्षति या शैथिल्य, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, से पीड़ित व्यक्तियों को प्रवेश देने या ठहराने के लिये प्रयुक्त या प्रयुक्त किये जाने हेतु आशयित प्राइवेट नर्सिंग होम, जो उपचार या परिचर्या या दोनों उपलब्ध कराते हैं और उसमें कोई प्रसूति गृह या आरोग्य गृह आदि तथा एम्बुलेन्स सेवा सम्मिलित है;

(ख) किसी चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था के संबंध में **"चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मियों"** में निम्नलिखित सम्मिलित होगें :–

(एक) चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थाओं में कार्यरत रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, जिसमें अनन्तिम रूप से रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक भी सम्मिलित है;

(दो) रजिस्ट्रीकृत नर्से;

(तीन) उपचारिका एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता;

(चार) प्रशिक्षित दाई;

(पाँच) चिकित्सा छात्र;

(छः) नर्सिंग छात्र; और

(सात) चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थाओं में नियोजित और कार्यरत सह–चिकित्सा एवं अन्य सहकर्मी;

(ग) **"अपराधी"** से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो या तो स्वयं या व्यक्तियों के किसी समूह या संगठन के किसी सदस्य या मुखिया के रूप में इस अधिनियम के अधीन कोई हिंसा कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है या उसका दुष्प्रेरण करता है या उसे करने के लिये उकसाता है;

(घ) **"सम्पत्ति"** से स्थावर एवं जंगम दोनों सम्पत्ति अभिप्रेत है;

(ङ) **"हिंसा"** से चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था में कर्तव्य का निर्वहन करने वाले किसी भी चिकित्सा परिचर्या कर्मी या रोगी को कोई अपहानि करने, क्षति कारित करने या उसके जीवन को संकटापन्न करने या उसको अभित्रास, अवरोध या प्रतिबाधा कारित करने वाले या चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था की सम्पत्ति को नुकसान कारित करने वाले क्रियाकलाप अभिप्रेत है।

हिंसा का प्रतिषेध

3. चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मियों के विरूद्ध हिंसा का या चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था में सम्पत्ति को कोई क्षति कारित करने वाला कोई भी कृत्य इसके द्वारा प्रतिषिद्ध किया जाता है।

शास्ति

4. (1) जो कोई धारा 3 के अधीन कोई हिंसा करेगा अथवा करने का प्रयत्न करेगा, वह ऐसे अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास हजार रूपये तक का हो

सकेगा, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट दण्ड के साथ–साथ क्षतिग्रस्त चिकित्सा उपस्करों के क्रय मूल्य और सम्पत्ति को कारित क्षति की रकम के दुगुने की शास्ति का भी दायी होगा।

(3) जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किए जाने पर उसी उपबन्ध के अधीन अपराध के लिए पुनः दोषसिद्ध किया जायेगा, वह दूसरे और ऐसे प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए, उस अपराध के लिए उपबन्धित शास्ति से दुगुनी शास्ति से दण्डनीय होगा।

(4) यदि शिकायत झूठी है अथवा किसी विद्वेषपूर्ण आशय से की गई है तो सक्षम न्यायालय, विवेचना के उपरान्त ऐसे शिकायतकर्ता के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकेगी।

(5) यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा उपधारा (2) के अधीन शास्तिक रकम का संदाय नहीं किया जाता है तो ऐसी रकम भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जायेगी।

अपराध का संज्ञान 5. धारा 3 के अधीन कारित प्रत्येक अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा तथा सुनवाई प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी।

अधिनियम का किसी भी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना 6. इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में।

अपवाद 7. उत्तराखण्ड चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के क्षति का निवारण) अध्यादेश, 2011 के व्यपगत होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

आज्ञा से,

डी0 पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव।